6/12/24 पत्रावली पेश हुई, वादी अधिवक्ता उपस्थित, वादी अधिवक्ता प्रकरण मे बहस हेतु समय चाहते है, न्यायहित मे समय दिया जाकर वास्ते पत्रावली बहस दिनांक 20/12/24 को पेश हो। sd/-

20/12/2024 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित, प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थी अनुपस्थित, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित प्रकरण आवश्यक प्रकृती का होने से प्रकरण मे प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन कीया की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या नया (349) व पुराना (298) में वर्णित आराजीयात 1002, 1006, 1009, 1010 1013, 1032, 1715, 1829, 1839, 979, 980, 982, 992, 994, 996, किता 15 कुल रकबा 3.8448 हैक्टेयर, भूमी स्थित है, जो प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी है, अप्रार्थी संयुक्त सम्पति को विक्रय करने की नियत से सम्पूर्ण संयुक्त भूमी पर कब्जा किया जा रहा है। तथा मकान निर्माण हेतु पत्थर डाले जा रहे है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने से मना कीया गया तो परन्तु अप्रार्थी अपनी ताकत के बल पर प्रार्थीगण के साथ मार पिट करने को उतारू है। अप्रार्थी को उक्त ~~कृत्य~~ कृत्य करने से मना नही किया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षती होने की संभावना है। अत: अपनी अन्तिम बहस के अन्त मे अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने से रोके जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन कीया एवं पत्रावली का अवलोकन किया मौजा धोलीया परगना मण्डल धौलीया भू.अ. निरीक्षक धौलीया की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या नया (349) व पुराना (298) मे वर्णित आराजीयात 1002, 1006, 1009, 1010, 1013, 1032, 1715, 1829, 1839, 979, 980, 982, 992, 994, 996 किता 15 कुल रकबा 3.8448 हैं० भूमी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमी है, जब तक संयुक्त खातेदारी भूमी का विधिवत् विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक इंच का मालीक एवं स्वामी होता है, अप्रार्थी संयुक्त भूमी पर कब्जा करने को आमादा

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर (राज.)

बनाम

मुकदमा पत्रावली संख्या सन

| तारीख हुक्म | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी |
|---|---|---|
| | है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे होना प्रतीत होता है। अतः मौजा धोलीना की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या नया (349) पुराना (298) मे वर्णित आराजीयात 1002, 1006, 1009, 1010, 1013, 1032, 1715, 1829, 1839, 979, 980, 982, 992, 994, 996 किता 15 कुल रकबा 3.8448 है० भूमी के मौके एवं रेकॉर्ड की यथा स्थिति व उक्त संयुक्त सम्पति को खुर्द-बुर्द नही करने बाबत व उक्त वर्णित आराजीयात पर ता फैसला मुल वाद निस्तारण तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है, स्थाई निषेधाज्ञा का उक्त वर्णित आराजीयात पर जमाबन्दी मे नोट अंकित किया जावे। | |
| | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। | |
| | निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। | Sd/- |

Scanned with CamScanner